न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 76/15

1 बीकरसिंह पुत्र कौरसिंह जाति जटसिख साकिन चक 29 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

1 जुगलकिशोर पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
2 बाबुलाल पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
3 ताराचन्द पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
4 गजानन्द पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
5 विद्यादेवी पिसरान हीरादेवी पत्नी मोहनलाल जाति मोची निवासी वार्ड नं0 8 मकान गली नं0 3 मोची मोहल्ला श्री गंगानगर
6 प्रेमसिंह पिसरान ईन्द्रसिंह पुत्र रायसिंह जाति बावरी निवासी चक 29 केवाईडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।
7 प्रितु पिसरान ईन्द्रसिंह पुत्र रायसिंह जाति बावरी निवासी चक 29 केवाईडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।
8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिः बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी की चक 29 केवाईडी के मु0नं0 38/07 के किला नं0 4 ता 7, 14, 15 में तादादी 06.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी दर्ज कागजात है। चक 29 केवाईडी के पास ही केवाईडी नहर से केवाईएम माईनर निकलता है जिसपर पुलिया बनी हुई है तथा प्रार्थी नहर के किनारे पश्चिम से पूर्व उक्त रास्ता से होकर मु0नं0 38/08 के कि0नं0 5 मे 0.02 बिस्वा, 6 मे 0.02 बिस्वा व मु0नं0 38/07 के कि0नं0 16 में 0.02 बिस्वा, 25 में 0.02 बिस्वा, रास्ता से होकर अपने खेत के कि0नं0 15 में प्रवेश करता है तथा उक्त रास्ता लगभग 20–22 वर्षो से चल रहा है इसके अलावा अन्य आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थी के पास नहीं है मौके पर उक्त रास्ता लगभग 02–02 बिस्वा भूमि पर कायम है तथा चालू है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी लम्बे अरसे से करता आ रहा है। उक्त वांछित रास्ता भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं उत्तर से दक्षिण 2–2 बिस्वा में रास्ता खेत स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद दिनांक 05.02.2020 को अप्रार्थीगण को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थीगण हाजिर अदालत

वकालतन या असालतन नहीं आने पर दिनांक 17.03.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 12.01.2021 सुनवाई कर निरस्त की गई एवं जवाब हेतु अवसर देने पर दिनांक 16.02.2021 को जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसके अनुसार प्रार्थी अपने उक्त धारित कृषि भूमि मु0नं0 38/7 में आने जाने के लिए मु0नं0 18/62, 63, 64 व मु0नं0 38/7 का किला नं0 17, 24 में से होकर रास्ता गुजरता है जो मौके पर चालू है और उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत करने से प्रार्थी को कम से कम प्रतिफल राशि भू स्वामी को अदा करनी पड़ेगी। उक्त रास्ता ही आवागमन हेतु प्रार्थी उपयोग में ले रहा है। प्रार्थी झुठा एवं मनगढ़त प्रार्थनापत्र पेष कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि से शॉर्टकट जाने के चक्कर में रास्ता लेने में आमादा है इसलिए उसका प्रार्थनापत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित रास्ता से कभी भी आवागमन नहीं किया बल्कि वह इसी चक के मुरब्बा नं0 38/30, 31 से होकर आज से करीब 25 वर्षो से गुजरता रहा है और उसी रास्ते का उपयोग एवं उपभोग करता रहा है। प्रार्थी को चाहिए था कि वह उक्त दोनों मुरब्बा में ही अपना रास्ता स्वीकृत करवाता इसलिए प्रार्थी मुरब्बा नं0 38/8 का किला नं0 5, 6 में 2 बिस्वा व 38/7 का किला नं0 16, 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता इससे हम अप्रार्थीगण के अधिकारों का हनन होगा और प्रार्थी द्वारा एक–एक बिस्वा भूमि चाही गई है जो विधि विरुद्ध है। उक्त भूमि किलों में कोई मार्ग नहीं है व कोई रास्ता चालू नहीं है इसलिए इन मुरब्बों के किलों में प्रार्थी को रास्ता नहीं दिया जा सकता इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तह.खाजू/राजस्व/2015/1026 दिनांक 21.7.2015, पत्रांक/कोर्ट/2021/82 दिनांक 10.02.2021, पत्रांक/तखा/रीडर/2022/747 दिनांक 07.11.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी को मौके पर कोई कटानशुद्धा मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा मु0नं0 38/8 के किला नं0 5, 6 तथा मु0नं0 38/7 के किला नं0 16, 25 में रास्ता कटान करवाना चाहता है। मौका स्थिति अनुसार वर्तमान उपयोग मे लिये जा रहे रास्ते से मु0नं0 38/8 के किला नं0 7 में बनी पुलिया से उक्त रास्ता निकटतम है।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 38/8 के किला नं0 5, 6 तथा मुरब्बा नं0 38/7 के किला नं0 16, 25 में सींव के किनारे किनारे 2–2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थी का कहना है कि वह वर्तमान में मुरब्बा नंबर 38/8 के किला नं0 5, 6 तथा मुरब्बा नं0 38/7 के किला नं0 16, 25 में से होकर गुजर रहा है। भू. अभि. निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है। इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर 38/8 के किला नं0 5, 6 तथा मुरब्बा नं0 38/7 के किला नं0 16, 25 में से सींव के किनारे किनारे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थीगण फैसले के

30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)